



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्या:- 161/2014.....जिला-जयपुर.....

उनवान- मैसर्स साई फूड्स, जयपुर वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-प्रथम, जयपुर।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17.12.2014	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष</u> <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u></p> <p>उक्त विविध प्रार्थना पत्र, अपीलीय अधिकारी, प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ के प्रकरण <u>अपील संख्या 1868/2014/जयपुर मैसर्स साई फूड्स, जयपुर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त-प्रथम, जयपुर निर्णय दिनांक 10.11.2014</u> के संबंध में प्रस्तुत कर, प्रकरण के निस्तारण की समयावधि छः माह बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया है।</p> <p>विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बैद व व्यवहारी की ओर विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा बहस हेतु दिनांक 15.12.2014 को उपस्थित हुये।</p> <p>उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में व्यवहारी की ओर से प्रकरण में समयावधि बढ़ाने के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गयी।</p> <p>उभयपक्षीय बहस व अपीलीय अधिकारी, प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार करने के पश्चात् न्यायहित में यह पीठ यह अनुभव करती है कि प्रकरणों के निस्तारण हेतु कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा निर्णय दिनांक <u>10.11.2014</u> के जरिये पूर्व में निर्धारित समय सीमा मय स्थगन पूर्व पारित आदेश दिनांक <u>10.11.2014 की शर्तानुसार</u> को इस आदेश प्राप्ति के आगामी दिनांक <u>31.03.2015</u> तक बढ़ाया जाना उचित है। अतः अपील प्रकरण के निस्तारण की समयसीमा दिनांक <u>31.03.2015</u> तक बढ़ायी जाती है।</p> <p>निर्णय प्रसारित किया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  (मदन लाल) सदस्य </div> <div style="text-align: center;">  (राकेश श्रीवास्तव) अध्यक्ष </div> </div>	